



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. वल्लभ पिता कजोड़ीमल जी विश्नोई पेशा काश्त निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. निशा पत्नी प्रदीप अग्रवाल निवासी सी 224 सुभाष निगर भीलवाड़ा
2. अंजू पत्नी प्रमोद कुमार निवासी सी 224 सुभाष निगर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**वाद वास्ते स्थाई एवं आदेशात्मक व्यादेश**

प्रकरण संख्या 206/2008 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधिच अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 26.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
26/3/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा